न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 475/2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–वहरोड (राज0)

–प्रार्थी

वनाम

प्रहलाद चेला रामदास जाति स्वामी सा0 देह

–अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 29/12/25

1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार कोटपूतली द्वारा इस आशय को पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 502/1.30, 503/0.05, 504/0.98, 505/1.21 506/0.06, 507/0.95 मौजा मोहनपुरा तहसील कोटपुतली जिसके साविक खसरा नम्बर 324 किस्म जोहड़ वाके मौजा मोहनपुरा तहसील कोटपुतली की आराजी राजकीय/भूमि की किस्म गैर मु0 नदी/नाला/तालाव है।
2. यह है कि उपरौक्त आराजी को तत्कालिन राजस्व अधिकारी महोदय, कोटपुतली के द्वारा विधि विरुद्ध जाकर अप्रार्थीगण को उक्त गैर मु० नदी/नाला/तालाव की भूमि का आवंटन कर दिया गया है। राजस्व रिकार्ड में भूमि को किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दि गयी है।
3. यह है कि प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार हाल व साविक रिकार्ड का अवलोकन करने से हुई।
4. यह है कि उपरौक्त भूमि आराजी गैर मु० नदी नाला/तालाव की भूमि है एवं जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक प्रदान नहीं दिये जा सकते है अप्रार्थीगण को उक्त आराजी में दी गई खातेदारी कानुनन गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 502/1.30, 503/0.05, 504/0.98, 505/1.21, 506/0.06. 507/0.95 मौजा मोहनपुरा तहसील कोटपुतली में से अप्रार्थीगण नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी को राजकीय भूमि सिवायचक गैर मु० नदी/नाला/तालाव दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।
6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलव किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाव पेश किया। प्रस्तुत जवाव में निवेदन किया गया कि प्रकरण में वर्णित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दी जावें तो मुझे कोई ऐतराज नही है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

7. पत्रावली का अवलोकन किया तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पैरोकार सरकार द्वारा आराजी हाल खसरा नम्बर 502/1.30, 503/0.05, 504/0.98, 505/1.21, 506/0.06. 507/0.95 मौजा मोहनपुरा तहसील कोटपुतली में से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी को सिवायचक गैर मु० नदी/नाला/तालाब दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा कोई ऐतराज प्रकट नही किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात मुताबिक नकल मिलान क्षेत्रफल सवंत 2027 से 2056 हाल खसरा नम्बर 502/1.30, 503/0.05, 504/0.98, 505/1.21, 506/0.06, 507/0.95 साबिक खसरा नम्बर 324 मि. से कायम किये गये। खेवट जमाबंदी सम्वत् 2005 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 324 मिन की किस्म जोहड़ दर्ज रिकॉर्ड थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत उक्त किस्म की भूमि पर किसी व्यक्ति की गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम स्टेट आफॅ राजस्थान में आदेश प्रदान किये है कि जिन भूमियों कि किस्म सम्वत 2005 में नदी, नाला व जोहड़ थी यदि उनकी खातेदारी किसी अन्य व्यक्ति को दे दी गई हो तो ऐसी खातेदारी को निरस्त किया जाकर पुनः पूर्वानुसार किस्म दर्ज कर राजस्थान सरकार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावें। तदनुसार अप्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व किस्म जोहड़ की भूमि पर, राजस्व अधिकारी कोटपूतली के आदेश द्वारा दर्ज की गई खातेदारी निरस्त की जाकर पूर्वानुसार किस्म जोहड़ राजस्थान सरकार के नाम अंकित किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, कोटपूतली द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया हैं तथा निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात की प्रतियॉं प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं इसके विपरीत पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि विवादित भूमि की किस्म सम्वत 2005 में जोहड़ दर्ज है। जिसकी किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी को आवंटन किया गया जो माननीय न्यायालय के आदेश के विपरीत है। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर उक्त भूमि हाल ख०नं० 502/1.30, 503/0.05, 504/0.98, 505/1.21, 506/0.06, 507/0.95 मौजा मोहनपुरा तहसील कोटपुतली से अप्रार्थी का नाम कलमजन कर सिवायचक दर्ज कर भूमि की किस्म गै०मु० जोहड़ दर्ज करने की अभिशंषा के साथ माननीय निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जाता है। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.12.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड)